

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

पत्रांक-
सेवा में,

18445-448 / 2015-16

दिनांक- 31/03/16

प्रबन्धक,

सनसाइन स्कूल अबाड़ी हरैया सठियांव,
आजमगढ़।

विषय:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

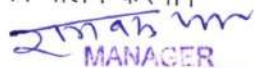
आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं सनसाइन स्कूल अबाड़ी हरैया सठियांव, आजमगढ़ को दिनांक-01 जुलाई, 2015 से दिनांक-30 जून, 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा LKG से 8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ:-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथम बैंक खाता रखेगा।
- 5- सौसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेसन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।


PRINCIPAL
Sun Shine School, Abadi Haraiya
Near Sathiaon, Mau Road
Azamgarh


प्राचार्य / Principal
जवाहर नवोदय विद्यालय
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Azamgarh / Meja
Azamgarh


MANAGER
SUN SHINE SCHOOL
Abadi Haraiya Near Sathiaon
Mau Road-Azamgarh